न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जमवारामगढ जयपुर
बइजलास श्री विश्वामित्र मीना R.A.S.
प्रार्थना पत्र सं0 126/2019
संगीता देवी पत्नि पूरणचंद वर्मा, जाति रैगर निवासी जमवारामगढ, जयपुर।
.....प्रार्थी

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र पुरा उर्फ भूरा जाति रैगर निवासी जमवारामगढ, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
2. नानकराम पुत्र नाथू जाति बलाई निवासी ग्राम सॉझरिया तहसील, सांगानेर, जिला जयपुर।
3. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील जमवारामगढ जयपुर।

..... अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषकः—
श्री महेश शर्मा नयाबासः—वकील प्रार्थी
श्री रमाशंकर शर्माः—वकील अप्रार्थीगण सं0 1 व 2

आवेदन बाबत नक्शा तरमीम दुरूस्तीकरण
अन्तर्गत धारा 131,132,136 एल0आर0एक्ट

निर्णय

दिनांक 06.11.2020

प्रार्थी की ओर से उक्त प्रकरण पेश किया जाकर कथन किया गया ग्राम जमवारामगढ पटवार हल्का जमवारामगढ तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में भूमि साबिक खसरा नं0 604 रकबा 4 बीघा भूमि हाल नवीन खसरा नं0 265 रकबा 0.8600 हैक्टेयर, खसरा नं0 268/605 रकबा 0.15 हैक्टेयर अनुसार कायम होकर प्रार्थी के खातेदारी में स्थित है तथा साबिक खसरा नं0 604/मिन1 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा हाल नवीन खसरा नं0 266 रकबा 0.60 हैक्टेयर, खसरा नं0 268/603 रकबा 0.10 हैक्टेयर अनुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0 1 व 2 के सहखातेदारी में स्थित है। जिनके राजस्व नक्शे में हाल सैटलमेंट कार्यवाही में प्रार्थी के साबिक हक अधिकार व कब्जे एवं राजस्व रिकार्ड के विरूद्ध त्रूटिपूर्ण नवीन नक्शा तरमीम है। चूंकि साबिक खसरा नं0 604 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा भूमि में पश्चिमी दिशा की ओर रकबा 4 बीघा भूमि को पूर्व खातेदार भागीरथ, रामस्वरूप (अप्रार्थी) पि0 पूरा ने प्रार्थी के हित में मय नजरी नक्शा सहित विक्रय दिनांक 10.05.1994 को करते हुए नामांतरण प्रार्थी के हित में करा दिया, जिसके अनुसार ही खसरा नं0 604 रकबा 4 बीघा का राजस्ब रिकार्ड कायम कर दिया गया, तत्पश्चात खसरा नं0 604/मिन1 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा भूमि में से हिस्सा 20/55 भाग अनुसार 1 बीघा भूमि को खातेदार भागीरथ पि0 पूरा ने प्रार्थी के हित में विक्रय दिनांक 29.07.1994 को करते हुए नामांतरण प्रार्थी के हित में करा दिया, जिसके अनुसार खसरा नं0 604 रकबा 4 बीघा में प्रार्थी स्वयं अकेली एवं खसरा नं0 604/मिन1 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा में प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0 1 व 2 सहखातेदार चले आ रहे है। जो कि खसरा नं0 604 रकबा 4 बीघा भूमि पश्चिमी दिशा की ओर एवं खसरा नं0 604/मिन1 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा भूमि पूर्वी दिशा की ओर स्थित चली आ रही है, जिसके अनुसार ही प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0 2 व 3 काबिज काश्तकार रहते आये है।

(विश्वामित्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

दौरानें सैटलमेंट कार्यवाही में सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा प्रार्थी के कब्जे व खातेदारी की भूमि खसरा न0 604 रकबा 4 बीघा के खसरा नं0 265 रकबा 0.8600 हैक्टेयर, खसरा नं0 268/605 रकबा 0.15 हैक्टेयर एवं खसरा नं0 604/मिन1 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा के हाल नवीन खसरा नं0 266 रकबा 0.60 हैक्टेयर, खसरा नं0 268/603 रकबा 0.10 हैक्टेयर कायम करते समय प्रार्थी अकेले के खातेदारी साबिक खसरा नं0 604 रकबा 4 बीघा भूमि के नक्शे में सहखातेदारी नवीन खसरा नं0 266 रकबा 0.60 हैक्टेयर, खसरा नं0 268/603 रकबा 0.10 हैक्टेयर अनुसार एवं सामलाती सहखातेदारी खसरा नं0 604/मिन1 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा भूमि के नक्शे में प्रार्थी के नवीन खसरा नं0 265 रकबा 0.8600 हैक्टेयर, खसरा नं0 268/605 रकबा 0.15 हैक्टेयर अनुसार वर्तमान राजस्व नक्शों में कब्जे मौके के विपरित त्रूटिपूर्ण तरमीम कर दिया गया, जिसके आधार पर उपरोक्त वर्णित भूमियों के वर्तमान राजस्व नक्शे साबिक मौके कब्जे व रिकार्ड के विपरित होकर त्रूटिपूर्ण है। जिससे प्रार्थी के कब्जे व मालिकाना स्वामित्व के अधिकार बाधित हो रहें है।

प्रार्थी की भूमि के सम्बन्ध में कब्जे मौके व साबिक राजस्व नक्शे के विपरित त्रूटिपूर्ण तरमीम की तथाकथित कार्यवाही अधिकार क्षैत्र से बहार होने के कारण दुरूस्तनीय है तथा प्रार्थी के विधिवत कब्जे व हक अधिकारों अनुसार ही नवीन राजस्व नक्शा कायम करना चाहिए, जिसकी प्रार्थी अधिकारी है।

उक्त प्रकरण को दर्ज कर अप्रार्थीगण नोटिस जारी किये जाने के बाद अप्रार्थी सं0 3 ने अपने अधीनस्थ पटवारी हल्का द्वारा प्रकरण में तथ्यात्मक रिपोर्ट एवं वर्तमान व साबिक नम्बरों अनुसार राजस्व नक्शों की प्रति सहित अपना जवाब न्यायालय में प्रस्तुत किया तथा प्रस्तुत जवाब प्रकरण के प्रतिवादी तहसीलदार ने कथन किया किया कि ग्राम जमवारामगढ के वर्तमान खसरा नं0 265 रकबा 0.86 हैक्टेयर, 268/605 रकबा 0.15 हैक्टेयर किता 2 कुल रकबा 1.01 हैक्टेयर की खातेदारी संगीता पत्नि पूरणमल जाति वर्मा रैगर निवासी जमवारामगढ के नाम दर्ज है एवं खसर नं0 266/0.60 हैक्टेयर, 268/603 रकबा 0.10 हैक्टेयर किता 2 कुल रकबा 0.70 हैक्टेयर की खातेदारी वर्तमान जमाबन्दी संम्वत 2074 में नानगराम पुत्र नाथू हि0 15/55 जाति बलाई नि0 सामरियां, सांगानेर, श्रीमति संगीता पत्नि पूरणमल हि0 40/53 जाति रैगर दर हि0 1/2, रामस्वरूप पुत्र पूरा हि0 1/2 जाति रैगर सा0देह0 के नाम दर्ज है। उक्त खसरा नम्बर एकीकरण के ख0नं0 604 मिन रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा से बने है तथा वर्तमान में ग्राम जमवारामगढ का हाल भू0प्रबन्ध सन् 2002–03 के रिकार्ड प्रचालित है। साबिक खसरा नं0 604 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा की जमाबन्दी सं0 2049–52 में भागीरथ, रामस्वरूप पि0 पूरा जाति रैगर के नाम दर्ज रही है। विक्रय पत्र दिनांक 10.05.1994 द्वारा भागीरथ, रामस्वरूप पि0 पूरा द्वारा 4 बीघा भूमि का बेचान संगीता देवी पत्नि पूणचन्द वर्मा जाति रैगर को किया है। जिसका नामा0सं0 1269 दिनांक 11.08.1995 को स्वीकार हुआ। जिसके द्वारा ख0नं0 604 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा के दो खसरा नं0 604 मि0 रकबा 4 बीघा एवं खसरा नं0 604 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा बने है। उक्त विक्रय पत्र के साथ विक्रय भूमि का नजरी नक्शा सलग्न है। जिसमें विक्रेतागणों के हस्ताक्षर उप पंजियक महोदय जमवारामगढ से प्रमाणित है। उसमें बेचान किया गया खसरा नं0 604 मि0 रकबा 4 बीघा, 604 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा के पश्चिम भाग में एवं खसरा नं0 604 मि0 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा उक्त खसरे के पूर्वी भाग में दर्शाया गया है। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा किये गये नक्शे विक्रय पत्र के अनुसार नहीं है तथा विपरित है।

(विश्वामित्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

अप्रार्थीगण सं0 1 व 2 की ओर से जवाब प्रकरण प्रस्तुत किया गया एवं अपनी ओर से राजीनामा प्रस्तुत किया गया है। जिनमें प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण के मद नं0 1,2,3 को सत्य एवं सही होने से स्वीकार किया है तथा अन्त में ग्राम जमवारामगढ में स्थित हाल खसरा नं0 266,265,268/603,268/605 की भूमि को प्रार्थी के विक्रय पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा एवं जवाब प्रार्थना पत्र पेरोकार सरकार में अंकित कथन संलग्न नजरी नक्शा अनुसार राजस्व नक्शे में संशोधन किया जाता है तो अप्रार्थी सं0 1 व 2 को कोई आपत्ति नहीं होना कथित किया गया है।

वकील उभय पक्षों ने हाजिर अदालत उपस्थित होकर उपरोक्त तथ्यों सहित कथन किया कि खातेदार पक्षकार अपनी अपनी भूमि के त्रूटिपूर्ण नक्शा तरमीम से अपने कब्जे व हक अधिकारों सहित सीमाओं को लेकर चिंतित है, जिसके लिए विवादित भूमियों के नक्शे में रकबा बरारी अनुसार दूरूस्तीकरण किया जावे।

वकील उभय पक्ष के उक्त तथ्यों अनुसार कथनों को मध्य नजर रखते हुए सुनवाई कर व पत्रावली में शामिल राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं साबिक नक्शो पर मनन करने व दस्तावेजात मय रिकार्ड का अवलोकन करने के पश्चात हम इस नतीजे पर पंहुचते है, कि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में भू–प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान बनाये गये राजस्व नक्शे के अन्तर्गत त्रूटिपूर्ण तरीके से पक्षकारों के कब्जे मौके व साबिक नक्शे के विपरित हाल नक्शे में त्रूटिपूर्ण तरमीम है, जिसका कथन तहसीलदार ने अपने जवाब में भी किया है। जिससे विचाराधीन प्रकरण में न्याय की मंशा से निर्णित किया जाना उचित एवं न्याय संगत समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी के कथनों एवं अप्रार्थी सं0 1 व 2 के जवाब एवं अप्रार्थी सं0 3 द्वारा प्रस्तुत जवाब व दस्तावेज को मध्य नजर रखते हुए निर्णय किया जाकर ग्राम जमवारामगढ में स्थित सैटलमेंट के वर्तमान राजस्व नक्शों में हाल खसरा नं0 266 के नक्शे के स्थान पर खसरा नं0 265 अनुसार भूमि का राजस्व नक्शा तथा खसरा नं0 268/603 के नक्शे के स्थान पर खसरा नं0 268/605 की भूमि का राजस्व नक्शा रकबा बरारी अनुसार तरमीम करने एवं खसरा नं0 265 के नक्शे के स्थान पर खसरा नं0 266 अनुसार भूमि का राजस्व नक्शा तथा खसरा नं0 268/605 के नक्शे के स्थान पर खसरा नं0 268/603 की भूमि का राजस्व नक्शा रकबा बरारी अनुसार तरमीम करने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार ही वर्तमान में विवादित राजस्व नक्शों में दुरूस्तीकरण करने एवं रकबा बरारी के तहत नक्शे तरमीम कायम करने के आदेश तहसीलदार जमवारामगढ को दिये जाते है। पारित निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफतर हो। निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्वामित्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ, जयपुर

(विश्वामित्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ